HINDUSTAN 11/07/2021

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन

शनिवार को दावाकर्ता को चेक सौंपते न्यायमूर्ति अपरेश सिंह। • हिन्दुस्तान

देवघर | प्रतिनिधि

देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को मिलाकर 1235 मामलों का निष्पादन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में 75,87,450 रुपए के समझौते तय किए गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कई बैंचों का गठन किया गया, जिनमें न्यायिक पदाधिकारियों समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ताओं को शामिल किया गया था। इस वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थिति रही। इधर, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष-सह-झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश सिंह ने शनिवार को देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की विभिन्न बैंच का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधरोपण किया एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान दो अलग-अलग मामले में दावाकर्ताओं को अपने हाथों से चेक भी समर्पित किए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संजीव कुमार झा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्रा, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तन्वी सहित अन्य उपस्थित थे।

प्रभात खबर 11/07/2021

राष्ट्रीय लोक अदालत

चीफ जस्टिस अपरेश सिंह भी हुए शामिल, पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की

1235 मामलों का निबटारा, 75.87 लाख पर समझौता

- बनाये गये थे 10 अलग-अलग बेंच

विधि संवाददाता, देवघर

देवघर न्याय मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हाइकोर्ट रांची के जस्टिस अपरेश सिंह शामिल हुए. उन्होंने सिविल कोर्ट कैंपस में पौधरोपण किये, पश्चात न्याय सदन के सभागार पहुंचे, जहां पर तीन मुकदमों के दावाकर्ताओं को विपक्षियों द्वारा न्यायालय में जमा दिये हुए चेक प्रदान किये. इसमें से उपभोक्ता संरक्षण फोरम के एक मामले में पक्षकार द्वारा वादी के पक्ष में दिया गया चेक था, जबकि श्रम न्यायालय द्वारा दो मामलों में दिये गये चेक थे. उन्होंने सिविल कोर्ट में चल रहे लोक अदालत के सभी बेंचों का जायजा लिया. इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी के अलावा सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, डालसा सचिव प्रताप चंद्र, न्यायालय के कर्मी, अधिवक्ता आदि मौजूद थे.

हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश सिंह समेत अन्य.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बेंचों के माध्यम से कुल 1235 मामलों का निष्पादन सुलह समझौता के आधार पर हुआ. साथ ही विभिन्न मामलों में 75,87,450 रुपयों की राशि का समझौता तय हुआ. वहीं विभिन्न विभागों के मामलों के निष्पादन से हजारों रुपये की वसूली हुई. मुकदमों के निष्पादन के लिए 10 बेंच बनाये गये थे. जिसमें से सिविल कोर्ट परिसर देवघर में छह बेंच एवं मधुपुर अनुमंडल सिविल कोर्ट परिसर में चार बेंच था. प्रत्येक बेंच में एक-एक एक न्यायिक पदाधिकारी एवं दो-दो पैनल अधिवक्ता नियुक्त थे. सबसे अधिक मामले बिजली विभाग के निष्पादित हुए. मुकदमों के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों व जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं का भरपूर योगदान रहा.

कहते हैं प्राधिकार के सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र ने कहा कि लक्ष्य से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ, जो नागरिकों की जागरूकता का प्रतीक है. अब लोग केस मुकदमा लड़ने के बजाय सुलह समझौता में विश्वास रख रहे हैं. इसके लिए देवघर कोर्ट के अधिवक्ता व डालसा से जुड़े पैनल एडवोकेट बधाई के पात्र हैं.

इन विभागों के मामलों का हुआ निबटारा

निष्पादित मामलों में बिजली विभाग, उत्पाद विभाग, बैंक ऋण मामले, वन विभाग, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, टेलीफोन विभाग, मापतौल, रेलवे एक्ट, पारिवारिक मामले, क्लेम केस, श्रम विभाग के केस, उपभोक्ता फोरम आदि के मामले शामिल हैं.